



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-154

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271034 दिनांक 10/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ram Swaroop Jat S/o BHURA LAL	श्री भूरा पुत्र श्री हरनाथ	191	249.50 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE CHATARPU RA LALYA KA BAS) Sector/Block-	Name Transfer	सेज पुनर्वास योजना ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के आवासीय भूखण्ड संख्या 191 क्षेत्रफल 249.50 वर्गमीटर की लीजडीड क्रमांक 157 दिनांक 2.11.2011 को श्री भूरा पुत्र श्री हरनाथ के पक्ष में जारी की गई थी। आवेदक द्वारा अपलोड मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्री भूरा राम पुत्र श्री हरनाथ का स्वर्गवास दिनांक 01.03.2024 एवं श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री भूराराम का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2020 को हो चुका है। आवेदक द्वारा शपथ पत्र अनुसार श्री भूरा राम पुत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

श्री हरनाथ के वारिस (1) गंगा देवी-फौत (पत्नी) (2) दुर्गा लाल (पुत्र) (3) रामस्वरूप जाट (पुत्र) (4) गुल्ली (पुत्री) (5) मनभर देवी (पुत्री) (6) गलखु (पुत्री) है। उक्त वारिसान में से (4) गुल्ली (पुत्री) (5) मनभर देवी (पुत्री) (6) गलखु (पुत्री) द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने हिस्से का हकत्याग जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र क्रमांक 202403024113 521 दिनांक 02.12.2024 से श्री राम स्वरूप जाट पुत्र श्री भूरा लाल के हक में कर दिया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ram Swaroop Jat S/o BHURA LAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004